कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-30.06.2024

विषयः- थाना लोहता क्षेत्रांतर्गत पकौड़ा विक्रेता की योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर शव को नाले में फेंक देने की घटना का सफल अनावरण, थाना लोहता पुलिस टीम द्वारा 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 6600/- रू0 नकद व घटना में प्रयुक्त 04 अदद मोबाइल बरामद।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम, चोरी/लूट/हत्या की घटनाओ के सफल अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण मे एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के नेतृत्व में थाना लोहता पुलिस टीम द्वारा इलेक्ट्रानिक साक्ष्य व मुखबिर की सहायता से मु0अ0सं0 118/2024 धारा 302 भा.द.वि. व बढोत्तरी धारा 120बी/34 भा.द.वि. थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1. राजन प्रजापति पुत्र रमाशंकर प्रजापति निवासी ग्राम कोरौता थाना लोहता वाराणसी 2. शशिकान्त उर्फ जवानी उर्फ विशाल पुत्र होरीलाल हरिजन निवासी ग्राम कोरौता हरिजन बस्ती थाना लोहता जनपद वाराणसी 3. अभिषेक जायसवाल पुत्र स्व0 मनीष जायसवाल निवासी अशर्फीनगर थाना मण्डुवाडीह (B.L.W) जनपद वाराणसी व 4. प्रदीप चौहान पुत्र गंगाराम निवासी रस्तापुर थाना रामनगर जनपद वाराणसी को आज दिनांक-30/06/2024 को समय 13.15 बजे सरदार पेट्रोल पम्प के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन महोदय द्वारा 20000/- रु0 नकद पुरस्कार की घोषणा की गयी ।

घटना का विवरण- दिनांक 27/06/2024 को वादी श्री सुनील कुमार प्रजापति पुत्र स्व0 कैलाश प्रजापति निवासी ग्राम कोरौता थाना लोहता जनपद वाराणसी द्वारा थाना लोहता पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके पिता कैलाश प्रजापति जो कोरौता बाजार में पकौडे का ठेला लगाते हैं, को दिनांक 26/27.06.2024 की रात्रि में करीब 12.00 बजे राजन प्रजापति पुत्र रमाशंकर प्रजापति निवासी ग्राम कोरौता थाना लोहता वाराणसी के द्वारा पूर्व नियोजित योजना के तहत तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा कैलाश प्रजापति की कोरौता बाजार में सड़क किनारे नाले में पानी मे डुबोकर उसकी हत्या कर शव को नाले में फेक दिया गया है। प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा उपरोक्त थाना लोहता में पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक लोहता द्वारा सम्पादित की जा रही है।

विवरण पूछताछ – अभियुक्त राजन प्रजापति उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं कोरौता बाजार में शिव मंदिर के पास रसेदार पकौड़े का ठेला लगाता हूं, मेरे ठेले के पास में ही कैलाश प्रजापति ग्राम कोरौता पकौड़े का ठेला लगाता था, उसके ठेले की वजह से मेरे ग्राहक टूट कर उसके ठेले पर चले जाते थे जिससे मेरी आमदनी कम हो जाती थी। मैने करीब एक साल पहले भी कैलाश प्रजापति को पिटवाया था ताकि वह डर कर ठेला लगाना बंद कर दे, इसलिए मैने कैलाश प्रजापति को रास्ते से हटाने की योजना बनायी। योजना के तहत मैने गांव के ही शशिकान्त उर्फ जवानी उर्फ विशाल को उसे जान से मारने के लिए कहा था जिस पर शशिकान्त उर्फ जवानी उर्फ विशाल ने मुझे अभिषेक जायसवाल एवं प्रदीप चौहान से मिलवाते हुए कहा कि आपका काम हो जायेगा लेकिन कैलाश प्रजापति को मारने के एवज में तीन लाख रूपये लेंगे। जिस पर मैं सहमत हो गया और हत्या से करीब एक सप्ताह पहले मैने 15 हजार रूपये तीनों को क्रमशः पांच-पांच हजार रूपये नगद दे दिये थे। जिसके बाद हम लोगों ने कैलाश प्रजापति की हत्या की योजना बनायी थी। इसी योजना के तहत शशिकान्त उर्फ जवानी,अभिषेक जायसवाल व प्रदीप चौहान ने कैलाश प्रजापति की हत्या की थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. राजन प्रजापति पुत्र रमाशंकर प्रजापति निवासी ग्राम कोरौता थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष।
2. शशिकान्त उर्फ जवानी उर्फ विशाल पुत्र होरीलाल हरिजन निवासी ग्राम कोरौता हरिजन बस्ती थाना लोहता जनपद वाराणसी उम्र करीब 22 वर्ष।
3. अभिषेक जायसवाल पुत्र स्व0 मनीष जायसवाल निवासी अशर्फीनगर थाना मण्डुवाडीह (B.L.W) जनपद वाराणसी उम्र करीब 32 वर्ष।
4. प्रदीप चौहान पुत्र गंगाराम निवासी रस्तापुर थाना रामनगर जनपद वाराणसी उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

1. 6600/- रू0 नकद
2. घटना से सम्बन्धित/प्रयुक्त 04 अदद मोबाइल फोन

आपराधिक इतिहास-

1. राजन प्रजापति उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 118/2024 धारा 302/120बी/34 भादवि थाना लोहता वाराणसी।

2. शशिकान्त उर्फ जवानी उर्फ विशाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

(1)मु0अ0स0 454/2019 धारा 120बी/201/34/364 भादवि थाना मडुआडीह वाराणसी

(2) मु0अ0स0 118/2024 धारा 302/120बी/34 भादवि थाना लोहता वाराणसी।

3. अभिषेक जायसवाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

(1)मु0अ0स0 454/2019 धारा 120बी/201/34/364 भादवि थाना मडुआडीह वाराणसी।

(2) मु0अ0स0 118/2024 धारा 302/120बी/34 भादवि थाना लोहता वाराणसी।

4. प्रदीप चौहान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

(1) मु0अ0स0 158/2021 धारा 344/366/376(2)/504/506 भादवि थाना रामनगर वाराणसी

(2) मु0अ0स0 118/2024 धारा 302/120बी/34 भादवि थाना लोहता वाराणसी।

<u>गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-</u>

1.प्रभारी निरीक्षक प्रवीन कुमार थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

2. उ0नि0 सत्य प्रकाश थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

3. उ0नि0 विशाल सिंह थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

4. उ0नि0 सत्यम तिवारी थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

5. हे0का0 अजय राय थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

6. हे0का0 सत्यप्रकाश सिंह थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

7. हे0का0 प्रवीण सिंह थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

8. का0 अजीत कुमार थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी